कार्यालय– पशु आहार निर्माणशाला रूद्रपुर (उधमसिंहनगर)

:– निविदा सूचना :–

'' ऑचल ''पशु आहार निर्माणशाला रूद्रपुर, द्वारा समस्त कच्चा माल आपूर्ति करने वाली फर्मो को सूचित किया जाता है, कि पशु आहार में प्रयोग होने वाले कच्चे माल, जिसकी मात्रा एवं गुणवत्ता सम्बन्धी शर्ते निविदा प्रपत्र के साथ सलग्न है, के क्रय हेतु निविदायें उत्तराखण्ड कोआपरेटिव डेयरी फैडरेशन लि0, मंगलपडाव हल्द्वानी (नैनीताल) के कार्यालय में आमंत्रित की जाती है।

निविदा फार्म दिनांक 23-12-2009 से 07-01-2010 तक कार्यालय कार्य दिवसों में मु0 500.00 (पॉच) सौ रूपये व टैक्स अतिरिक्त पर नकद भुगतान पर ऑचल पशु आहार निर्माणशाला रूद्रपुर तथा यू0 सी0 डी0 एफ0 लि0 मंगलपडाव हल्द्वानी (नैनीताल) के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है। अथवा यू0एल0डी0बी0 की बैवसाइट www .uldb.org. से सीधे डाउन लोड किये जा सकते है। बैवसाइट से डाउन लोड निविदा फार्म के साथ मु0 525.00 (पॉच सौ पच्चीस) सौ रूपये का बैक ड्राफ्ट (कैटिल फीड फैक्ट्री रूद्रपुर पर देय) प्रथक से सलग्न करना होगा।

निविदायें रजिस्टर्ड डाक अथवा कोरियर के माध्यम से दिनांक 08.01.2010 को 01.00 बजे तक उत्तराखण्ड कोआपरेटिव डेयरी फैडरेशन लि0, मंगलपडाव हल्द्वानी (नैनीताल) के कार्यालय में प्राप्त की जायेगी। प्राप्त निविदायें उसी दिन अपरान्ह 02.00 बजे निविदादाताओं के सम्मुख खोली जायेगी। निर्धारित समय से बिलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जायेगा। निविदा प्रपत्र के उपर स्पष्ट रूप से **''पशु आहार के कच्चे माल हेतु निविदा''** लिखा होना चाहिए। निविदाओं को पूर्ण/आंशिक रूप से निरस्त/स्वीकार करने एवं वांछित मात्रा को कम अथवा बढाने का अधिकार अध्यक्ष क्रय कमेटी के पास सुरक्षित रहेगा। विस्तृत जानकारी हेतु यू0एल0डी0बी0 की बैवसाइट www .uldb.org. पर देखें ।

अध्यक्ष क्रय कमेटी

कार्यालय – पशुआहार निर्माणशाला किच्छा बाई पास रोड रूद्रपुर उधमसिंह नगर

फोन 05944–244510, 242552

पशु आहार के कच्चे माल का आपूर्ति हेतु निविदा प्रपत्र

निविदा सूचना संख्या 03 कच्चा माल/सी0एफ0पी0/2009–2010
दिनांक 08.01.2010

सामान्य प्रबन्धक
पशु आहार निर्माणशाला
रूद्रपुर उधमसिंह नगर

कच्चे माल की निविदा के सम्बन्ध में कुछ जानकारियॉं।

<u>निविदा सूचना संख्या 03 (कच्चा माल)/सी0एफ0पी0/2009–2010</u>

पशु आहार निर्माणशाला रूद्रपुर द्वारा पशु आहार के उत्पादन हेतु नीचे दर्शाये गये कच्चे माल की आपूर्ति हेतु मुहर बन्द निविदाऐं आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र कैटल फीड फैक्ट्री, रूद्रपुर के कार्यालय अथवा यू0सी0डी0एफ0 कार्यालय मंगलपडाव हल्द्वानी (नैनीताल) से दिनाक 23.12.2009 से 07.01.2010 तक कार्यालय कार्य दिवसों में रू0 500.00 नकद भुगतान (डाक से मगाने के लिये रू0 25.00 अतिरिक्त) के समक्ष क्रय किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पार्टी को रजिस्ट्रेशन शुल्क रू0 500.00 देय होगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क एक वार ही देय होगा। रजिस्टेशन धनराशि मु0 500.00 (पॉच सौ) रूपये संस्था के कोषागार में नकद जमा कर अथवा बैंक ड्राफ्ट, जो इस संस्था के नाम देय हो के, माध्यम से भेजे जा सकती है। निविदा प्रपत्र uldb की website www. uldb.org. से सीधे डाउनलोड किया जा सकता हैं। वैबसाइट से डाउन लोड किये गये निविदा फार्म का शुल्क मु0 500/– (पॉच सौ) रूपये बैक ड्राफ्ट (जो ऑचल कैटल फीड फैक्ट्री, रूद्रपुर के नाम देय) निविदा के साथ अतिरिक्त संलग्न करना अनिवार्य होगा।

निविदायें रजिस्टर्ड डाक अथवा कोरियर के माध्यम से दिनाक 08.01.2010 को अपरान्ह 01 बजे तक अध्यक्ष क्रय कमेटी, (पशु आहार कच्चा माल), यू0सी0डी0एफ0 लि0 मंगलपडाव हल्द्वानी, जिला (नैनीताल) उत्तराखण्ड के नाम पर कार्यालय में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदायें उसी दिन अपरान्ह 02 बजे निविदादाताओं के सम्मुख खोली जायेगी। निर्धारित समय से बिलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जायेगा। निविदा प्रपत्र के उपर स्पष्ट रूप से **''पशु आहार के कच्चे माल हेतु निविदा''** लिखा होना चाहिये। ऐसी पार्टियां जो सभी आइटमों के रेट देने हेतु इच्छुक हैं,एक मुश्त रू0 1,00,000.00 (एक लाख रूपये मात्र) धनराशि धरोहर राशि डिमान्ड ड्राफ्ट/एफ0 डी0 आर0 के रूप में जमा कर सभी आइटमों के लिये निविदायें दे सकती हैं या पार्टियां रू0 40,000.00(चालीस हजार रूपये मात्र) प्रति आइटम की दर से धरोहर राशि जमा करा कर निविदायें दे सकती हैं।धरोहर राशि बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। धरोहर राशि हेतु डिमान्ड ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 पशु आहार निर्माणशाला के नाम देय अथवा बन्धक होगी, के द्वारा जमा की जा सकती है। पूर्व में संस्था में जमानत धनराशि को तभी मान्य किया जायेगा, जबकि निविदादाता द्वारा इस आशय का स्पष्ट प्रमाण पत्र संलग्न किया जाये, कि उक्त जमा धनराशि को ही (जो निर्विवादित है) जमानत मान लिया जाय तभी उक्त जमा राशि नये टैन्डर में जमानत के रूप में मान्य की जायेगी।

पार्टियों द्वारा प्रपत्र में दर्शाये गये पशु आहार के कच्चे माल हेतु दर एवं कच्चे माल की जितनी मात्रा आपूर्ति करने हेतु वह अपने को समक्ष समझते है, उसे निविदा प्रपत्र में घोषित किया जाना होगा । कच्चे माल की अनुमानित आवश्यकता व सम्भावित शिडयूल का विवरण निम्नवत है। परन्तु किसी माल को किस मात्रा में क्रय किया जाना है यह निर्णय कच्चे माल की कीमत व उपलब्ध बैकल्पिक कच्चे मालों की कीमतों के आधार पर कमेटी द्वारा टैण्डर के उपरान्त लिया जायेगा। परन्तु किसी भी कच्चे माल की निविदा की न्यूनतम स्वीकार्य से कम मात्रा में माल की दरें स्वीकार नही होगी।

क्र.सं.	कच्चे माल का नाम	अनुमानित आवश्यकता मात्रा (मै0टन)	न्यूनतम स्वीकार्य मात्रा (मै0टन)	सम्भावित माल भण्डारण मात्रा (मै0टन)			
				जनवरी 2010	फरवरी 2010	मार्च 2010	अप्रैल 2010
1.	डी0ओ0आर0बी0	3500–5000	300	1000	1000	1000	1000
2.	राइस पालिश	400–500	50	150	150	150	....
3.	चना	04	04	02	02	....	....
4.	मक्का	50	10	....	....	30	20

कैल्साइड पाउडर व नमक का एक बर्ष हेतु रंनिग रेट कान्ट्रेक्ट किया जायेगा। प्रतिमाह इसकी अनुमानित आवश्यकतायें 25 मै0टन होगी।

क्र.सं.	कच्चे माल का नाम	अनुमानित आवश्यकता मात्रा (मै0टन)	न्यूनतम स्वीकार्य मात्रा (मै0टन)	सम्भावित माल भण्डारण मात्रा (मै0टन)			
				जनवरी 2010	फरवरी 2010	मार्च 2010	अप्रैल 2010
1.	कैल्साइड पाउडर	....	....	....	....	....	....
2.	नमक	....	....	....	....	....	....

निविदादाताओं का निविदा के साथ विकी कर पंजीयन प्रमाण पत्र की फोटो प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा । किसी भी निविदा को पूर्ण/ आंशिक रूप से स्वीकार करने या निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष कय कमेटी के पास सुरक्षित रहेगा । शर्तो का विस्तृत विवरण निविदा फार्म के साथ सलग्न है।

सामान्य प्रबन्धक
पशु आहार निर्माणशाला
रूद्रपुर

सामान्य प्रबन्धक
पशुआहार निर्माणशाला
रूद्रपुर (उधमसिंहनगर)

निविदा प्रपत्र

विषय – पशु आहार के कच्चे माल हेतु निविदा । माह.......................

महोदय,

आपके द्वारा पशु आहार निर्माणशाला रूद्रपुर को पशु आहार के कच्चे माल को आपूर्ति हेतु आमंत्रित की गयी निविदाओं के सन्दर्भ में नीचे दर्शाये गये कच्चे माल हेतु दरें दे रहा हूं / रहे हैं । समस्त कच्चा माल आपको निर्धारित गुणवत्ता एवं स्पेसीफिकेशन के अनुसार तथा निविदा प्रपत्र में दी गयी शर्तों के अनुसार आपूर्ति किये जायेंगे ।

क्र.सं.	कच्चे माल का नाम	मात्रा(मै0टन में)	दर अंकों में रू0 प्रति मै0टन)	दर शब्दों में (रू0प्रति मै0टन)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				

उपरोक्त दरें सी0एफ0पी0 रूद्रपुर के आधार पर हैं तथा इसमें समस्त कर सम्मलित हैं । साथ ही जहां तक आवश्यक है मैं / हम टेक्स पेड सटिफिकेट उपलब्ध करा दूगां / देगें । मैने / हमने कच्चे माल के गन्तब्य स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है तथा निविदा प्रपत्र में दी गयी समस्त शर्तें एवं स्पेसीफिकेशन का अध्ययन कर लिया गया है । हम / मैं इस बात की पुष्टि करता हूं / करते हैं कि तदानुसार ही सी0एफ0पी0 रूद्रपुर के स्तर से निर्गत किये जाने वाले क्रयादेशों के समक्ष कच्चे माल की आपूर्ति करूंगा / करेंगे । मैं / हम निविदा के साथ रूपया..........................डिमान्ड ड्राफट / एफ0डी0आर0 / कैश रसीद संख्या/प्रमाण पत्र .... दिनांक................ के रूप में संलग्न कर रहा हूं / रहे हैं । साथ ही मैं / हम इस बात से सहमत हूं / हैं कि यदि आपके द्वारा मेरे / हमारे आफर को स्वीकार कर लिया जाता है तथा हमारे द्वारा सम्बन्धित कच्चे माल की आपूर्ति नहीं दी जाती है, तो ऐसी दशा में जमा की गयी धरोहर धनराशि को पशु आहार निर्माणशाला रूद्रपुर द्वारा जब्त कर लिया जायेगा । मैं / हम इस बात से भी सहमत हूं / हैं कि अध्यक्ष क्रय कमेटी द्वारा किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकार किया जा सकता है ।

तिथि............................
स्थान.........................

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम ....
पूरा पता ....
....

दूरभाष नम्बर ....

पशु आहार के कच्चे माल की आपूर्ति हेतु शर्तें

1— कच्चा माल सी0एफ0पी0 रूद्रपुर द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के माप दण्डों के अनुसार अच्छी गुणवत्ता का एवं पशु आहार के उत्पादन में प्रयोज्य होना चाहिए ।
2— कच्चा माल, ताजा, मिलावट रहित, कीट एवं फफूदी रहित होना चाहिए तथा उसमें किसी प्रकार के ढेले, खटास, आपत्तिजनक बदबू नहीं होना चाहिए । कच्चे माल में किसी भी प्रकार की धूल, बाहरी तत्व जैसे की लोहे अथवा धातु के टुकडे आदि नहीं होना चाहिए
3— निविदादाताओं को निविदा के साथ बिक्री कर पंजीयन प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4— सभी प्रकार की डिआयल्ड खलें तथा एक्सट्रेक्सन कान्टीन्युअस प्रोसेस प्लांट के होना चाहिए,जब तक अन्यथा मांग न की गयी हो ।
5—सभी आयल्ड केक तथा डिआयल्ड केक, अरण्डी की खल तथा महुआ की खल से मुक्त होना चाहिए ।
6—सी0एफ0पी0 रूद्रपुर द्वारा निविदाओं के माध्यम से प्राप्त हुई न्यूनतम दरों पर विचार करने के उपरान्त इसमें से जो दरें न्यूनतम होंगी, या क्रय कमेटी द्वारा उनके आधार पर कच्चे माल की मात्रा एवं दरें अनुमोदित की जायेंगी एवं उनके लिए क्रय आदेश प्रधान प्रवन्धक पशु आहार निर्माणशाला रूद्रपुर द्वारा निर्गत किये जायेंगे एवं निविदादाता इन क्रयादेशों के समक्ष पशु आहार निर्माणशाला को कच्चे माल की आपूर्ति करने के लिये बाध्य होंगे । पशु आहार के कच्चे माल की आदेशित मात्रा से 10 प्रतिशत कम / अधिक अथवा 10 मै0 टन जो भी कम हो, कच्चे माल की मात्रा पशु आहार निर्माणशाला को स्वीकार होगी
7— कच्चे माल के विभिन्न कन्साइनमेंट की आपूर्ति पशु आहार निर्माणशाला को करते समय आपूर्ति करता द्वारा डिलीवरी चालान तथा बीजक चार—चार प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें पशु आहार निर्माणशाला द्वारा निर्गत किये गये क्रय आदेश संख्या आपूर्ति किये जा रहे कच्चे माल का विवरण, ट्रक नम्बर तथा मात्रा का स्पप्ट उल्लेख किया जायेगा ।
8—स्पेसीफिकेशन में उल्लेखित कच्चे माल का गारन्टी तथा कटोती के साथ माल स्वीकार किये जाने हेतु निर्धारित न्यूनतम सीमा की गुणवत्ता का ही माल आपूर्ति कर्ता को देना होगा ।
9—पंजीकृत पार्टियों द्वारा दी जाने वाली निविदाओं के समक्ष मु0 40,000.00 (चालीस हजार रूपये) प्रतिआइटम की दर से डिमान्ड ड्राफट अथवा एफ0डी0आर0 के रूप में पशु आहार निर्माणशाला रूद्रपुर के नाम देय, या बन्धक हो, धरोहर राशि के रूप में जमा करना होगा। अधिकतम धरोहर राशि मु0 1,00,000.00(एक लाख रूपये) जमा कर पार्टी तीन या तीन से अधिक आइटमों हेतु भी टेंडर प्रस्तुत कर सकती है
10— स्पेसीफिकेशन सीट /क्रय आदेश में उल्लेखित रासायनिक विश्लेपण की गारन्टी सदैव “ड्राई मेटर बेसिस” पर है न कि “एज इज वेयर इज बेसिस” पर । आपूर्ति कर्ता द्वारा सी0एफ0पी0 रूद्रपुर के स्तर से उपलब्ध करायी गई विभिन्न कच्चे मालों की स्पेसीफिकेशन एवं कटौती की शर्तों का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लेना चाहिए । साथ ही आपूर्तिकर्ताओं द्वारा स्पेसीफिकेशन सीट पर स्वीकारोक्ति के रूप में हस्ताक्षर करके उसकी एक प्रति पशु आहार निर्माणशाला को लौटानी होगी जिसके आधार पर यह माना जायेगा कि सम्बन्धित आपूर्ति कर्ता समस्त कच्चे माल की आपूर्ति निर्धारित गुणवत्ता मापदण्डों के अनुरूप ही करेंगे । यदि आपूर्ति कर्ता द्वारा क्रय आदेश की प्रतिलिपि क्रय आदेश निर्गत होने की तिथि से 07 दिन के अन्दर प्रति हस्ताक्षरित करके नहीं लौटायी जाती है तो यह माना जायेगा, कि आपूर्ति करता को क्रय आदेश स्वीकार्य है ।
11— आपूर्ति कर्ता द्वारा आपूर्ति किये गये कच्चे माल के प्रत्येक कन्साइनमेंट के चार नमूने सम्बन्धित पशु आहार निर्माणशाला द्वारा लिये जायेंगे । आपूर्ति कर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि यदि नमूने लिये जाने के समक्ष उपस्थित रहते हैं तो उन्हें एक सीब्ड नमूना उपलब्ध करा दिया जायेगा, दूसरा नमूना निर्माणशाला में टेंस्टिंग हेतु प्रयोग किया जायेगा । तीसरा नमूना सील्ड करके पशु आहार निर्माणशाला के पास दो माह तक सुरक्षित रखा जायेगा तथा इस अवधि के बाद नमूने नष्ट कर दिये जायेंगे एवं इसके पश्चात किसी भी आपूर्ति कर्ता से गुणवत्ता के समबन्ध में कोई भी शिकायत स्वीकार नहीं की जायेगी ।

12– पशु आहार निर्माणशाला की लेबोरेटरी में किये रासायनिक विश्लेपण की जांच रिपोर्ट पशु आहार निर्माणशाला इकाई के स्तर से आपूर्ति कर्ता माल की प्राप्ति के दस दिन के अन्दर उपलब्ध करा दी जायेगी। तथा आपूर्ति कर्ता के लिये यह आवश्यक होगा कि इस विश्लेपण रिर्पोट के बारे में वह इसकी स्वीकृती पशु आहार निर्माणशाला को रिर्पोट प्रेपित किये जाने के पन्द्रह दिन के अन्दर ही दे देंगे । यदि आपूर्ति कर्ता के स्तर से उपरोक्तानुसार पन्द्रह दिन के अन्दर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है ।तो यह समझा जायेगा कि आपूर्ति करता द्वारा गुणवत्ता विश्लेपण रिर्पोट स्वीकार कर ली गई है एवं ऐसी दशा में इसी रिर्पोट के आधार पर आपूर्ति करता के भुगतान को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा तथा उन्हें सम्बन्धित कच्चे माल को किसी बाहरी मान्यता प्राप्त लैब दोबारा जांच कराने का मोका नहीं दिया जायेगा । यदि आपूर्ति कर्ता द्वारा पशु आहार निर्माणशाला की गुणवत्ता रिर्पोट स्वीकार नहीं की जाती हैं तो ऐसी दशा में उसके व्यय पर नीचे दर्शायी गई सात बाहरी प्रयोगशालाओं में से किसी भी एक प्रयोगशाला में आपूर्ति किये गये कच्चे माल का नमूना दूसरे टेस्ट के लिए भेज दिया जायेगा ।

1. मै0 ईटा लैब प्राइवेट लि0, माहरा हाउस, 15 कवास्जी पटेल स्ट्रीट,फोर्ट्र मुम्बई 400009 ।
2. मैं0 निकासू लैबोरेट्री, 41–47, ईस्टर्न चेम्बर, 128 पूना स्ट्रीट, दाना बन्दर मुम्बई400009 ।
3. मैं0 श्री राम इस्टीटयूट और इण्डस्ट्रीयल रिसर्च, 19 यूनिवर्सिटी रोड दिल्ली 110007 ।
4. मै0 एस0जी0एस0 इण्डिया प्रा0 लि0, एस0जी0एस0 हाउस, नेरोबी परदून जी रोड मुम्बई 400001 ।
5. मै0 जी0आर0 पारिख एण्ड कम्पनी, 191 सेम्वल स्ट्रीट, मुम्बई 400001
6. मै0 जी0 ओ0 कैम लेबोरेट्रीज प्रा0 लि0, 294 शहीद भगत सिंह मार्ग फोर्ट मुम्बई 400001 ।
7. मै0 एन0डी0डी0बी0 आनन्द गुजरात ।

यदि दूसरे टेस्ट की रिपोर्ट पशु आहार निर्माणशाला रूद्रपुर द्वारा स्वीकार कर ली जाती है तो ऐसी दशा में पार्टी का भुगतान पशु आहार निर्माणशाला की पहली टेस्ट रिपोर्ट तथा बाहरी लैब की दुसरी रिपोर्ट द्वारा दिये गये परिणामों के औसत के आधार पर कर दिया जायेगा, परन्तु यदि दुसरी टेस्ट रिपोर्ट पशु आहार निर्माणशाला रूद्रपुर द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है तो ऐसी दशा में पशु आहार निर्माणशाला रूद्रपुर को यह अधिकार होगा कि वह किसी अन्य मान्यता प्राप्त बाहरी लैब (जिस लैब से दूसरा टेस्ट कराया गया हो, उससे नहीं) में माल के नमूने का तीसरा टेस्ट करा लेवे, परन्तु उस तीसरे टेस्ट में आने वाला व्यय पशु आहार निर्माणशाला को वहन करना होगा । यदि कच्चे माल का तीसरी बार परीक्षण कराया जाता है तो ऐसी दशा में सम्बन्धित आपूर्ति करता का भुगतान पशु आहार निर्माणशाला द्वारा किये गये प्रथम विश्लेपण की रिपोर्ट तथा बाहरी मान्यता प्राप्त लेबोरेटरी द्वारा दी गयी दो विश्लेपण रिपोर्टो में दो निकटतम विश्लेपण परिणामों के औसत के आधार पर किया जायेगा।

13– इस दशा में पार्टी का भुगतान पशु आहार निर्माणशाला की पहली रिपोर्ट तथा बाहरी लैब की दूसरी रिपोर्ट द्वारा दिये गये परिणामों के औसत के आधार पर कर दिया जायेगा।यदि तीसरी लैब में भी विश्लेपण कराया जाता है तो दो नजदीकी रिपोर्टों को आधार मानकर औसत के आधार पर भुगतान किया जायेगा ।

14– इस प्रकार के सभी कच्चे माल के कन्साइन्मेण्ट को जो सी0एफ0पी0 रूद्रपुर के स्पेसीफिकेशन के अनुरूप नहीं हैं, को पूर्णतह अथवा आंशिक रूप से रिजेक्ट करने का अधिकार सी0एफ0पी0 रूद्रपुर सुरक्षित रखती है। इस प्रकार रिजेक्ट कच्चा माल अधिकतम एक माह की अवधि के लिए पशु आहार निर्माणशाला में आपूर्ति करता की जिम्मेंदारी / व्यय पर रखा जायेगा । आपूर्तिकर्ता को उक्त अवधि के अन्दर सम्बन्धित रिजेक्ट माल को वापस उठा लेना होगा । यदि इस अवधि के अन्दर आपूर्ति करता द्वारा सम्बन्धित रिजेक्ट माल को वापस नहीं उठाया जाता है तो ऐसी दशा में सी0एफ0पी0 को यह अधिकार होगा कि कच्चे माल की बिक्री इच्छुक पार्टियों से दरें लेकर अधिकतम दर पर कर दे । इस प्रकार से रिजेक्ट माल के निस्तारण किये जाने कि दशा में पार्टी की तरफ से किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा ।

15– टेण्डर होने के एक सप्ताह के अन्दर क्रय आदेश निर्गत किया जायेगा ।क्रय आदेश निर्गत किये जाने के दिनांक से अधिकतम सात दिन के बाद से पशु आहार निर्माणशाला इकाई को उनके द्वारा दिये गये शिडयूल के अनुसार आपूर्ति करनी होगी ।

16– यदि किसी आपूर्तिकर्ता द्वारा क्रय आदेश में दिये गये डिलिवरी शिडयूल के अनुसार कच्चे माल की आपूर्ति नहीं की जाती है अथवा पूरी मात्रा की आपूर्ति नहीं की जाती है अथवा आपूर्ति किया गया कच्चा माल निर्धारित गुणवत्ता मानक के अनुसार नहीं पाया जाता है तो ऐसी दशा में पशु आहार निर्माणशाला उनकी आवश्यकतानुसार पशु आहार का उत्पादन अनवरत जारी रखने हेतु सम्बन्धित कच्चे माल का क्रय स्थानिय बाजार से रिस्क परचेज प्रणाली के अर्न्तगत किया जायेगा एवं इस प्रकार पार्टी के खाते से रिस्क परचेज अन्तर की राशि की कटोती पार्टी की जमानत धनराशि अथवा पार्टी के लम्बित बिलों की राशि से कर ली जायेगी । यदि रिस्क परचेज के अन्तर की राशि पार्टी की जमानत राशि तथा लम्बित बिलों की राशि से अधिक आता है ऐसी दशा में इस प्रकार की राशि पार्टि से न्यायिक प्रक्रिया से वसूली जायेगी। यदि सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता द्वारा क्रयादेश निर्गत किये जाने के दिन से एक माह की अवधि तक समस्त आदेशित कच्चे माल की आपूर्ति नहीं की जाती है तो ऐसी दशा में पशु आहार निर्माणशाला द्वारा उनकी आवश्कतानुसार पशु आहार का उत्पादन अनवरत जारी रखने हेतु सम्बन्धित कच्चे माल का रिस्क परचेज प्रणाली के अर्न्तगत स्थानीय बाजार से क्रय कर लिया जायेगा एवं इस प्रकार के अन्तर की राशि की कटोती पार्टी की जमानत राशि अथवा लम्बित बिलों की राशि से कर ली जायेगी , परन्तु यदि रिस्क परचेज करने की आवश्यकता नहीं होती है तो ऐसी दशा में आपूर्ति हेतु दिये गये शिडयूल की अन्तिम तिथि के बाद अधिकतम 14 दिन का समय पार्टी को माल आपूर्ति हेतु उपलब्ध रहेगा तथा इस दौरान आपूर्ति किये गये माल पर 2 प्रतिशत प्रति 7 दिन की दर से पेनाल्टी लगायी जायेगी, जो कि प्रत्येक 7 दिन से ही लागू माना जायेगा । इस प्रकार प्रथम दिन से सातवें दिन के विलम्ब के लिए 2 प्रतिशत एवं आठवें दिन से चौदहवे दिन तक के लिए 4 प्रतिशत की दर से लेटसप्लाई पेनाल्टी की कटौती पार्टी से की जायेगी । यह लेट सप्लाई पेनाल्टी पार्टी द्वारा आपूर्ति हेतु आदेशित मात्रा के अतिरिक्त 10 प्रतिशत बढी हुई सीमा के अन्दर आपूर्ति किये गये कच्चे माल की मात्रा पर भी लागू होगी, परन्तु जो मात्रा रिस्क परचेज प्रणाली के अर्न्तगत क्रय कर ली जायेगी, पर लेट सप्लाई पेनाल्टी नहीं काटी जायेगी । यदि पार्टी के स्तर से 14 दिन से बढे हुए समय काल में भी माल की आपूर्ति नहीं की जाती है तो ऐसी दशा में क्रयादेश भी निरस्त माना जा सकता है तथा पार्टी खाते से 10 प्रतिशत की दर से नोन सप्लाई पेनाल्टी काटी जायेगी । एवं कच्चा माल आपूर्ति कर्मा को ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता हैं। यह पेनाल्टी आंसिक रूप से आपूर्ति किये गये कच्चे माल की मात्रा को छोड कर आपूर्ति हेतु शेप मात्रा में से कुल मात्रा की 10 प्रतिशत मात्रा घटाने के पश्चात बढी हुई मात्रा पर भी लागू होगी । उक्त कटोतियां डिलीवरी सिडयूल के अनुसार प्रत्येक माह की आपूर्ति पर भी मान्य होंगी।

17– उपरोक्त समस्त शर्ते निविदा प्रपत्र में उल्लेखित अन्य शर्तें आपूर्तिकर्ता एवं सी0एफ0पी0 रूद्रपुर के बीच लागू मानी जायेंगी। आपूर्तिकार्ता द्वारा यदि उनमें किसी प्रकार का संशोधन उनकी तरफ से प्रस्तावित किया जाता है तो यह पशु आहार निर्माणशाला रूद्रपुर के उपर लागू नहीं होगा ।

18– यदि आपूर्ति के समबन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उसे दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग, उत्तरांचल देहरादून अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि द्वारा पंच निर्णय के माध्यम से निपटारा हेतु सन्दर्भित किया जायेगा एवं उनके द्वारा किया गया निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा ।

19–उपरोक्त शर्तों में आपूर्तिकर्ता एवं क्रेता द्वारा उभयपक्षीय सहमति द्वारा आवश्यकतानुसार फेर बदल किया जा सकेगा ।

20–उपरोक्त शर्तों के अनुसार निर्गत किये गये क्रय आदेशों तथा उनमें दिये गये आपूर्ति सम्बन्धि निर्देश आपूर्तिकर्ता एवं क्रेता के बीच में हुए अनुबन्ध के अभिन्न अंग माने जायेंगे।

21– आपूर्तिकर्ताओं को उनके द्वारा आपूर्ति किये गये माल में से स्वीकार किये गये माल का भुगतान तीन माह के अन्दर किया जायेगा ।

....